



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल abvpkendra@gmail.com

22.08.2017

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय एक सुधारवादी कदम : विनय बिद्रे (राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप)

आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय एक सुधारवादी, प्रगतिशील व समतामूलक कदम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती है। हमें विश्वास है कि महिलाओं को भारतीय संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के पूर्ण क्रियान्वयन की दिशा में यह एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। आज का युवा क़रीतियों से मुक्त समाज बनाने हेतु संकल्पित है व आज आया निर्णय युवा भारत के उस संकल्प की दिशा को बुलंद करने वाला है।

अभाविप केंद्र सरकार से मांग करती है कि तीन तलाक के खिलाफ तुरंत संसद द्वारा कानून बनाने की पहल करे। साथ ही, सभी राजनैतिक दलों से अपील करती है राजनीतिक गुणा-भाग से ऊपर उठकर ऐसे कानून का समर्थन करें।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री राहुल शर्मा द्वारा जारी की गई है)